

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1433/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.247-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(303)-2023

लखनऊ: दिनांक: 3 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-851/ग्यारह-9(47)/ 17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(18)-2017 दिनांक 30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

पूर्वोक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6 के समक्ष, स्तम्भ 4 में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाएगी, अर्थात् :-

"केंद्र सरकार [रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) को छोड़कर], राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण।"

2 यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,


(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव